Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 R.N.I. No. 66400/97

बी.बी. प्रसून भी हाई कोर्ट जज हो गये 3

प्रधानमंत्री बनने के लिये मोदी का प्रचार–तंत्र 4

फिर टूटा मज़दूरों पर हुड्डा सरकार का कहर 6

दो और सरकारी कॉलेजों में विज्ञान की पढ़ाई का एक और धोखा 8

वर्ष 26 अंक 15 फरीदाबाद, रविवार, 16-30 जून 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

मोदी का उभार कांग्रेस के लिए उपहार

दिल्ली, मज़दूर मोर्चा

लगता है कि आग़ामी चुनावों में नरेन्द्र मोदी ही भाजपा का चेहरा होने जा रहे हैं। अन्य भाजपाई चेहरे उनके पैसे, प्रचार और धींगामस्ती के आगे पहले ही लाचार दिख रहे थे, अब उपचुनावों में गुजरात से लोकसभा (2) व विधानसभा (4) की तमाम सीटें जीतने के बाद वे पूरी तरह हावी नज़र आते हैं।

सत्तारूढ़ कांग्रेस में चेहरे को लेकर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। उन्हें तो राहुल गाँधी के पोस्टर के पीछे ही खड़ा होना है चाहे पीएम की कुर्सी पर बेशक मनमोहन सिंह ही चलते रहें।

वैसे मोदी ने अभी उपचुनाव ही जीते हैं जो अक्सर सत्तारूढ़ पक्ष जीतता ही है। ममता बनर्जी ने प. बंगाल में उपचुनाव इसी तर्ज पर जीता है। पर मोदी की साख को बढ़ावा इस बात से ज़रूर मिला है कि कांग्रेस विरोधी पक्ष का नेतृत्व करने वाले अन्य दावेदार बिहार के सीएम नीतिश कुमार अपने राज्य का उपचुनाव हार गए हैं। साथ ही मोदी ने गुजरात में जो 6 सीटें जीती हैं वे सारी ही पहले कांग्रेस के पास थीं।

देश में एक ऐसा तबका है जो मोदी को मज़बूत देखना चाहता है। इसमें उद्यमी, निवेशक, पेशेवर, व्यवसायी, व्यापारी एवं

पर कांग्रेस (राहुल गाँधी) का सबसे बड़ा मददगार स्वयं भाजपा का मोदी चेहरा ही सिद्ध होगा। कैसे ? मोदी के चेहरा बनते ही भाजपा के तमाम पारम्परिक वोट उसकी झोली में आने सुनिश्चित हो जाएंगे। साथ ही वह तबका भी भाजपा की ओर आएगा जो मोदी की कार्यशैली में अपने मुनाफ़े की बेरोक-टोक गारंटी देखता है। पर इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होगी। तमाम अल्पसंख्यक वोट जो अन्यथा विभिन्न पार्टियों में बंटते अब एक साथ कांग्रेस की झोली में इस डर से पहुंच जाएंगे कि कहीं मोदी न आ जाए। इसी प्रकार दलित तबके भी मोदी विरोधी राजनीतिक खेमों को मजबूत करने का काम अंजाम देंगे। ऐसे में यदि नगदी सीधे वोटर तक पहुंचाने की रणनीति चल पड़ी तो मोदी की दाल नहीं गल पाएगी।

मध्यवर्गीय शहरी शामिल हैं जो मानते हैं कि मोदी के आने से सरकारी लालफ़ीताशाही पर लगाम लगेगी। यह तबका टैक्स चोरी में माहिर है और इसकी सामाजिक एवं आर्थिक शान काले धन पर आधारित है। इसे रीयल-एस्टेट, शेयर बाजार, निर्यात जैसे क्षेत्र हमेशा 'गर्म' चाहिए। इस तबके को आम जनता की कीमत पर देश की प्राकृतिक सम्पदाओं के स्वार्थपूर्ण दोहन की छूट भी चाहिए। मोदी का राष्ट्रवादी मुखौटा एवं मुहावरा, जो आम जनता को कुछ वर्षों तक बरगलाए रख सकता है, उन्हें रास आता है। इसके बरक्स कांग्रेस के पास विश्वसनीयता का घोर अभाव है। मनमोहन सिंह एवं उनकी पूरी मंडली, भ्रष्टाचार एवं शोषण की प्रतिमूर्ति नज़र आते हैं। आर्थिक सुधारों के चैम्पियन होने का उनका दावा अब उनके समर्थक पूंजीपतियों एवं उच्च तबकों को भी उत्साहित नहीं कर पा रहा है।

शेष पेज 2 पर

सट्टेबाजी का खेल और पुलिसिया घालमेल

फरीदाबाद (म.मो) क्रिकेट आईपीएल में चलती आ रही सट्टेबाज़ी की रोकथाम एवं पकड़-धकड़ में ज़िला पुलिस काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। पर कमाल है कि एक जैसे दो मामलों में अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं जिसकी जैसी सिफारिश उस पर वैसी ही बारिश। सर्वविदित है कि जुआ, सट्टेबाज़ी, शराब व देहव्यापार जैसे खुले धंधे कभी भी पुलिस की मिली-भगत के बिना बहुत देर तक नहीं चल सकते। ये धंधे पुलिस की 'कमाई' के सबसे सरल व मोटे स्रोत होते हैं।

सट्टेबाज़ों से मिलीभगत के आरोप में ज़िला पुलिस कमिश्नर (सीपी) अरशिंदर सिंह चावला ने 3 सब-इंस्पेक्टरों को निलम्बित व एक इंस्पेक्टर को सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। निलम्बित होने वाले थानेदारों पर आरोप है कि वे टेलिफ़ोन पर सट्टेबाज़ों के संपर्क में रहते थे जबकि बर्खास्त होने वाले पर आरोप है कि वह तो खुद ही बुकी का काम करता था। ये आरोप कितने सही या ग़लत हैं समय ही बताएगा।

मामले का भेद खुलना तब शुरू हुआ जब नवनियुक्त डीसीपी अभिषेक गर्ग ने थाना कोतवाली क्षेत्र में सट्टेबाजों को पूरे साजो-सामान (लैपटॉप, टीवी व दर्जनों मोबाइल फ़ोन) सहित रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उक्त पुलिसकर्मियों के नाम आने पर सीपी ने उनके फ़ोन टेप पर लगवाए बताते हैं। फ़ोन टेप द्वारा पुष्टि होने के आधार पर उक्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई।

दिनांक 26 मई को कोतवाली में दर्ज उक्त मुकदमा नंबर 211 से पहले ठीक इसी तरह का मुकदमा नंबर 155 दिनांक 10.3.13 को थाना सेंट्रल में भी दर्ज किया गया था। यह सट्टा तत्कालीन एसीपी डॉ. हितेष यादव ने छापा मार कर पकड़ा था। दोनों ही मामलों में समानता यह है कि इन्हें थानों की पुलिस की बजाए उच्चाधिकारियों ने पकड़ा। स्थानीय थानों पर भरोसा न करके दोनों मामलों में उन्हें सूचित किए बिना स्वयं उच्चाधिकारियों ने छापे मारे। जाहिर है उच्चाधिकारी यह मान कर चल रहे थे कि दोनों स्थानों पर थाने वालों को मिलीभगत से ही सट्टा चल रहा था।

लेकिन दोनों केसों में एक बड़ा अंतर यह है कि थाना सेंट्रल वाले मुकदमा नं. 155 में जहां केवल जुआ अधिनियम 1867 की धारा 3/4/13ए/67 लगाई गई है वहीं कोतवाली वाले केस नं. 211 में उक्त जुआ एक्ट के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 व 471 को भी लगाया गया है। दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि पकड़े गए सटोरियों ने मोबाइल फ़ोनों के सिम ग़लत पहचान से लिए हैं। भा.द.सं. की धारा लग जाने की वजह से ख़बर लिखे जाने तक पकड़े गए आरोपियों की ज़मानत नहीं हो पाई थी, 2 दिन का पुलिस रिमाण्ड मिला और उसके बाद जमानत हो गई। जबकि थाना सेंट्रल वाले आरोपियों की ज़मानत तुरंत हो गई। इतना ही नहीं चालान आने के बाद इनको सज़ा भी केवल 1000-2000 जुर्माने तक की होगी। जानकार बताते हैं कि थाना सेंट्रल वाले केस की जिमनी नंबर दो में भा.द.सं. की धाराएं 420, 467, 468 व 471 लगा कर पुलिस ने अपनी ईमानदारी व कार्यकुशलता दिखाने का असफ़ल प्रयास किया है। विदित है कि बाद में भा.द.सं. की धाराएं जोड़ने से अभियुक्त की कोई हानि नहीं होती।

शेष पेज 2 पर

ख़बर दार

असल चार सौ बीस है आईपीएल

दिल्ली ब्यूरो। चोरों ने खुद ही अदालत लगा ली और खुद ही फ़ैसला सुना दिया। इण्डियन पैसा लीग के सट्टेबाज़ी प्रहसन का पटाक्षेप करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपातकालीन बैठक में गिरोह के सरगना श्रीनिवासन ने न स्वयं इस्तीफ़ा दिया और न गिरोह-सदस्यों ने इस्तीफ़ा मांगा। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए बोर्ड के एक और पुराने घाघ डालमिया को सब कुछ 'ठीक' करने को अन्तरिम कार्यभार सौंप दिया गया।

जिस हमाम में सारे नंगे हों, वहां और क्या होना था! क्या भाजपाई मोदी, जेटली, अनुराग ठाकुर, क्या कांग्रेसी राजीव शुक्ला, क्या शरद पवार और लालू यादव, सबकी एक जैसी दशा क्योंकि सबकी एक जैसी नीयत।

कायदे से इनमें से कइयों को जेल में होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पकड़े गए खिलाड़ियों और सटोरियों पर

सारे प्रकरण में धोखाधड़ी यदि हुई है तो वह आईपीएल के कर्णधारों द्वारा क्रिकेट दर्शकों के साथ की गई है। इन दर्शकों ने स्टेडियम या टीवी पर क्रिकेट देखने के लिए पैसा खर्चा था। पर बदले में उन्हें एक मिलीभगत का तमाशा देखने को मिला। यह हुई असली चार सौ बीसी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला और उसके तमाम अन्य गुर्गों को इस संगीन अपराध में गिरफ्तार किया जाना चाहिए था।

धोखाधड़ी (420 आईपीसी) तथा अमानत में खयामत (406 आईपीसी) जैसी गंभीर धाराएं, जुआ एक्ट के साथ लगाई थीं। अब तो दाऊद इब्राहिम से सट्टेबाज़ी के तार जुड़े होने का हवाला देकर उन पर मकोका भी लगा छोड़ा है। कायदे से ये सारी धाराएं आईपीएल और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कर्ता-धर्ताओं पर लगाई जानी चाहिए। सट्टेबाज़ी में लिप्त खिलाड़ियों ने दो गलतियां की हैं। एक तो उन्होंने अपने मालिकों से किए अनुबंध की उल्लंघना की जिसके अंतर्गत उन्हें पेशेवर क्रिकेट खेलना था न कि मिलीभगत से रन लुटाने थे। इसके लिए मालिकों का उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार बनता है। यानी मालिक अनुबंध समाप्त कर उनसे हर्ज़ाना ले सकते हैं। दूसरे, इन खिलाड़ियों ने जुआ अधिनियम के अंतर्गत सट्टेबाज़ी में सहयोग का अपराध किया है, जो एक मामूली सा जमानती अपराध है। लिहाज़ा गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस को इनकी जमानत ले लेनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त क्रिकेट बोर्ड को अपने नियमों के अंतर्गत उन पर प्रतिबंध भी लगाना था। इसी प्रकार गिरफ्तार किए गए सट्टेबाज़ों पर भी धोखाधड़ी जैसा कोई अपराध नहीं बनता। उनका तो किसी से अनुबंध भी नहीं है, लिहाज़ा उन पर अमानत में खयामत जैसा मामला तो बन ही नहीं सकता। कायदे से उन्हें भी केवल जुआ अधिनियम के अंतर्गत सट्टेबाज़ी आयोजित करने का अपराधी बनाया जाना चाहिए था।

सारे प्रकरण में धोखाधड़ी यदि हुई है तो वह आईपीएल के कर्णधारों द्वारा क्रिकेट दर्शकों के साथ की गई है। इन दर्शकों ने स्टेडियम या टीवी पर क्रिकेट देखने के लिए पैसा खर्चा था। पर बदले में उन्हें एक मिलीभगत का तमाशा देखने को मिला। यह हुई असली चार सौ बीसी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला और उसके तमाम अन्य गुर्गों को इस संगीन अपराध में गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। इसी तरह बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन और उसकी टीम की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए थी। बोर्ड का अपना एक भ्रष्टाचार-निरोधक दस्ता है

शेष पेज 2 पर